


उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-499/तीन-2022-39(2)/2016
लखनऊ: दिनांक : 17 अगस्त, 2022

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-514/तीन-2021-39(2)-2016 दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 द्वारा वर्ष 2022 हेतु घोषित अवकाशों में दिनांक 18 अगस्त, 2022 (गुरुवार) को जन्माष्टमी को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

2- हिन्दू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्योहार दिनांक 19 अगस्त, 2022 को मनाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी का त्योहार दिनांक 18 अगस्त, 2022 (गुरुवार) के स्थान पर दिनांक 19 अगस्त, 2022 (शुक्रवार) को मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में जन्माष्टमी के त्योहार हेतु दिनांक 18 अगस्त, 2022 के स्थान पर दिनांक 19 अगस्त, 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार विज्ञप्ति दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 यथासंशोधित समझी जाए।


(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-: (1)/तीन-2022-39(2)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5- रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा० उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
- 6- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उ०प्र०।
- 9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यो का विभाग, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- प्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-बैंक आफ बड़ौदा, आंचलिक कार्यालय, 45, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।
- 12- क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र० एवं उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर-208001।
- 13- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।